RAJYA SABHA

Prohibition of

marriages where the

Friday, the 17th March, 1961/the 26th Phalguna, 1882 (Saka).

The House met at eleven of the clock, Mr. CHAIRMAN in the Chair.

PAPERS LAID ON THE TABLE

APPROPRIATION ACCOUNTS AND BLOCK ACCOUNTS OF RAILWAYS AND APPRO-PRIATION ACCOUNTS (POSTS AND TELE-1959-60 GRAPHS) FOR AND PAPERS

THE MINISTER OF REVENUE AND EXPENDITURE (D_R CIVIL GOPALA REDDI): Sir, I beg to lay the Table, under clause (1) of article 151 of the Constitution, a copy of the following papers:-

- I. (i) Appropriation Accounts Railways in India for 1959-60 (Parts I and II), [Placed in Library. See No. LT-2744/61 and No. LT-2745/61 for Parts I and II respectively.]
 - (including (ii) Block Accounts Capital Statements comprising the Loan Accounts), Balance Sheets and Profit and Accounts of Indian Govern-Railways, 1959-60. ment [Placed in Library. See No. LT-2746/61.]
 - (iii) Audit Report, Railways, 1961. [Placed in Library. See No. LT-2743/61.]
- Appropriation Accounts (Posts II. and Telegraphs) 1959-60 and the Audit Report, 1961, thereon. [Placed in Library. No. LT-2742/61.]

RESOLUTION RE PROHIBITION OF MARRIAGES WHERE THE DIFFER-ENCE BETWEEN THE AGES OF THE SPOUSES IS MORE THAN FIFTEEN YEARS—continued.

श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल (उत्तर प्रदेश): श्रद्धेय सभापति जी, अभी पन्द्रह बीस दिन पहले इस प्रस्ताव को इस सदन के सम्मुख प्रस्तृत करते हये मैने निवेदन किया था कि स्वतंत्र होने के पश्चात् हमने देखा कि हमारा समाज अनेकों व्याधियों से ग्रस्त है श्रीर हमने यह भी देखा कि हमारी वे व्याधियां, वे क्प्रथायें हमारे समाज की प्रगति में बाधक बनी हुई हैं। हमने निश्चय किया कि हम उन सामाजिक क्रीतियों का उन्मुलन करें श्रौर ग्रपनी सामाजिक क्रांति के लियें समाज-सुधार के अनेकों कानून लायें। पिछले दस बारह साल में इस प्रतिष्ठित सदन ने ही कितने ही सामा-जिक सुधार के कानुनों पर ग्रपनी मोहर लगाई है। लेकिन उन प्रयत्नों के बावजद भी ग्राज हम देखते हैं कि हमारे समाज में कितनी ही भयंकर कृप्रथाएं मौजूद हैं । उनमें से दहेज ग्रीर ग्रनमेल विवाह या ग्रसमान विवाह, ये दो प्रथाएं इतनी घातक हैं कि ग्राज इनसे समाज की प्रगति अवरुद्ध हो रही है। दहेज के लिये विचान हम बना ही रहे हैं लेकिन ग्रनमेल ग्रीर ग्रसमान विवाह जो है वह भी समाज की प्रगति के लिये, समाज की उन्नति के लिये इतना ही घातक है जितना कि दहेज ग्रीर ग्राज ग्रनमेल विवाह के कारण ग्रपने समाज का शुभ्र मस्तिष्क कलंकित होता है। प्रांज इसीलिये मैंने यह प्रावश्यक समझा कि मैं प्रपने इस प्रस्ताव के द्वारा इस अनमेल विवाह की कुप्रथा के प्रति इस सदन का ध्यान ग्राकित करूं।

मेरे प्रस्ताव का उद्देश्य यह है कि अनमेल विवाह पर वैधानिक रोक लगनी चाहिये। मैं चाहती हूं कि विवाह के लिये उद्यत पुरुष भ्रौर स्त्री ग्रायु में यदि पन्द्रह साल से ग्रिधिक का अन्तर हो तो इस प्रकार के विवाह को